an>

Title: Need to permit continuation of traditional cultivation of opium and provide new licence for morphine and poppy seeds as per demand.

**श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) :** भारत में अफीम की खेती 1857 अफीम अधिनियम से नियंत्रित होकर कानूनी खेती होती है। वर्ष 2009-10 में अनुज्ञप्ति प्राप्त 60,687 कृषक 23,425 हेक्टेयर भूमि पर इसका उत्पादन करते थे जबकि 2012-13 में 46,821 कृषक सिर्फ 5859 हेक्टर भूमि पर उत्पादन कर रहे हैं अफीम की खेती के तीन उत्पाद हैं।

(क) अफीम (ओपियम) जो जीवन रक्षक दवाइयों के निर्माण में उपयोगी है।

(ख) डोडाचुरा (पोपी हस्क) जो हल्के नशे के लिए बदनाम है।

(ग) खसखस (पोपी सीड्स) जो भारतीय रसोई में पसंदीदा है।

सरकार की गलत नीतियों के कारण अफीम का सह उत्पाद खसखस देश को विदेशों से मजबूरन आयात करना पड़ रहा है सितम्बर माह में 2014 से पूर्व घोषित होने वाली अफीम नीति के लिए निम्न सुझाव जो सभी लागू करने योग्य है।

**18.** परम्परागत खेती चालू रखे जिससे अल्कोलाईट कारखाना चलता रहे।

**18.** आधुनिक तकनीक जिससे सीधे मार्फीन प्राप्ति हो दुनिया की मांग के अनुसार नये लायसन्स जारी करे।

**18.** मांग के अनुसार सिर्फ खसखस उत्पादन हेतु लायसन्स जारी हो, शेष उत्पाद नष्ट करे।

**18.** कृषकों को लायसन्स की पात्रता हेतु औसत में कमी की जाये।